बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या-5/आ०1-106/2012- 1100 पटना, दिनांक- 01/10/18

श्री बिनोद कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना द्वारा बिना निविदा/कोटेशन आमंत्रित किये मेसर्स निकहट लेदर इन्डस्ट्रीज, महाजन टोली नं0-1, आरा को छपरा, सिवान एवं गोपालगंज प्रमंडल में करोड़ों रूपये का आपूर्ति आदेश देने का मामला विभाग के संज्ञान में आया। उक्त आरोपों की जाँच त्रिसदस्यीय समिति द्वारा करायी गयी। उक्त समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध सभी आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया गया। फलतः प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के आलोक में उनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अधीन विभागीय संकल्प संख्या-964, दिनांक-25.11.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।

2. श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना-सह-जाँच संचालन पदाधिकारी के गैर सरकारी प्रेषण संख्या 126, दिनांक-30.08.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध लगे आरोप को अप्रमाणित एवं कालबाधित प्रतिवेदित किया गया।

3. जाँच प्रतिवेदन की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर आरोपित पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक-771, दिनांक-19.09.2017 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

4. आरोपित पदाधिकारी के पत्रांक-शून्य दिनांक-10.10.2017 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा का प्रत्युत्तर/लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी लिखित अभिकथन की विभाग द्वारा समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

5. वर्णित परिपेक्ष्य में श्री बिनोद कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है:-

- *पेंशन से 25% (पच्चीस प्रतिशत) राशि की एक वर्ष तक कटौती।*

6. उपर्युक्त दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

7. उपर्युक्त दण्ड पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः *आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।*

बिहार राज्यपाल के आदेश से

1.10.18

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ०1-106/2012- 1100 पटना, दिनांक- 01/10/18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ०1-106/2012- 1100 पटना, दिनांक- 01/10/18

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक-05/प्रो०3-08/2018(1700) लो०से०आ०, दिनांक-17.09.2018 के आलोक में सूचनार्थ समर्पित।

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ०1-106/2012- 1100 पटना, दिनांक- 01/10/18

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01/ आई0टी0 मैनेजर (विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, विहार, पटना/ श्री बिनोद कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना, पता-A4, सिद्धार्थ अपार्टमेंट, जगदेव पथ, डाकघर-भेटनरी कॉलेज, थाना-हवाई अड्डा, पटना-14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ०1-106/2012- 1100 पटना/दिनांक- 01/10/18

प्रतिलिपि:-प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव